



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274112
CG-DL-E-04072026-274112

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3447]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3447]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3582(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (क) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तारीख 9 अप्रैल 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 320(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इस मामले में आवश्यक जांच करने के पश्चात, बारह प्रतिशत को कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में यहां विनिर्दिष्ट के सिवाय संहिता की धारा 1 की उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के अधीन आने वाले प्रत्येक स्थापन के नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा संदत्त किए जाने वाले अभिदाय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. स्थापन, जिन पर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (क) का पहला परंतुक लागू नहीं होगा, निम्नानुसार हैं,-

- कोई ऐसा स्थापन जिसके लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन स्थापित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना या प्रतिसंदाय योजना का अनुमोदन किया गया हो।
- निम्नलिखित में कोई स्थापन-
 - जूट उद्योग;
 - बीड़ी उद्योग;
 - ईट उद्योग;

- (घ) कताई क्षेत्र के अलावा अन्य कॉयर उद्योग;
(ड.) ग्वार गम कारखानों।

3. इस अधिसूचना को 21 नवंबर, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

[फा. सं. एस-35025/09/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3582(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment S.O. 320(E) dated the 9th April 1997, the Central Government after making necessary inquiry into the matter hereby specifies **twelve percent** as the contribution to be paid by the employer and the employees of every establishment covered under sub-sections (4), (5) and (6) of section 1 of the Code except specified herein of Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

2. The establishments to which the first proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) shall not apply are as under,-

- i. any establishment for which a resolution plan or repayment plan has been approved by the Adjudicating Authority established under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
- ii. any establishment in the-
 - (a) jute Industry;
 - (b) beedi Industry;
 - (c) brick Industry;
 - (d) coir Industry other than the spinning sector;
 - (e) guar gum factories

3. This notification shall be deemed to come into force from the 21st day of November, 2025.

[F. No. S-35025/09/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.